

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2310]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2014/कार्तिक 21, 1936

No. 2310]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2014/KARTIKA 21, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2885(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा—

- (i) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1615(अ) दिनांक 26 सितम्बर, 2006 में, स्तंभ (4) की अनुसूची में “सौंपे गए सभी मामले” से शुरु होने वाले तथा “मुख्य आयकर आयुक्त- II, बंगलुरु (कोलार के राजस्व जिलों से भिन्न)” शब्दों एवं कोष्ठकों से समाप्त होने वाले हिस्से के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः—

“आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) की धारा 127 के अंतर्गत सौंपे गए सभी मामले तथा जो वर्तमान में मुख्य आयकर आयुक्त, बंगलौर-1 (रामनगर, कोलार, मैसूर, चामराज नगर, मांडया, हासन, चिकमंगलूर, कोडागु के जिलों से भिन्न) तथा मुख्य आयकर आयुक्त, बंगलौर-2 (चिक्काबल्लापुर, तुमकुर, देवनागरे, शिमोगा, हावेरी, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा, बिदर, रायचूर, यादगिर, बेल्लारी तथा कोप्पल के जिलों से भिन्न); प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बंगलौर-1; आयकर आयुक्त (टीडीएस), बंगलौर (कोलार, चिक्काबल्लापुर, रामनगर, मैसूर, मांडया, हासन, तुमकुर, चिकमंगलूर, चामराजनगर तथा कोडागु जिलों से भिन्न); प्रधान

आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य), बंगलौर; तथा आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान), बंगलौर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं;

- (ii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग- II, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 2022 (अ) दिनांक 03 नवम्बर, 2007 में, कॉलम (4) की अनुसूची में "सौंपे गए सभी मामले शब्दों" के साथ शुरु होने वाले तथा "चैन्नई- I और II" शब्दों और आंकड़ों से समाप्त होने वाले वाक्य के हिस्से को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किए जाएगा, नामतः—

"आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) की धारा 127 के अंतर्गत सौंपे गए सभी मामले जो वर्तमान में मुख्य आयकर आयुक्त, चैन्नई-1, 2, 3 तथा मुख्य आयकर आयुक्त, चैन्नई-4 (तमिलनाडु राज्य में कड्डालोर तथा विल्लुपुरम जिले एवं पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न); आयकर आयुक्त (टीडीएस), चैन्नई (तमिलनाडु राज्य में कड्डालोर तथा विल्लुपुरम जिले एवं पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न); मुख्य आयकर आयुक्त (आयुक्तों)/आयकर आयुक्त/ (आयुक्तों) (मध्य)-1 तथा 2, चैन्नई; तथा आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान), चैन्नई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं";

- (iii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग- II, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 739 (अ) दिनांक 27 मार्च, 2008 में, कॉलम (4) की अनुसूची में "सौंपे गए सभी मामले" से शुरु होने वाले तथा कोष्ठक में " और आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान) से समाप्त होने वाले वाक्य के हिस्से को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किए जाएगा, नामतः—

"आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) की धारा 127 के अंतर्गत सौंपे गए सभी मामले तथा जो वर्तमान में मुख्य आयकर आयुक्त (आयुक्तों), मुम्बई-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; मुख्य आयकर आयुक्त (टीडीएस), मुम्बई; मुख्य आयकर आयुक्त (आयुक्तों)-मध्य-1 तथा मध्य-2, मुम्बई तथा आयकर आयुक्त (आयुक्तों) (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-1 से 4 तक, मुम्बई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं";

- (iv) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग- II, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1217 (अ) दिनांक 26 मई, 2008 में, कॉलम (4) की अनुसूची में "सौंपे गए सभी मामले" से शुरु होने वाले तथा "आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान), दिल्ली" से समाप्त होने वाले वाक्य के हिस्से को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किए जाएगा, नामतः—

"आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) की धारा 127 के अंतर्गत सौंपे गए सभी मामले तथा जो वर्तमान में मुख्य आयकर आयुक्त (आयुक्तों), दिल्ली-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; मुख्य आयकर आयुक्त (टीडीएस), दिल्ली; मुख्य आयकर आयुक्त (मध्य), दिल्ली तथा आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-1 से 3 तक, दिल्ली के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं";

- (v) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 3249 (अ) दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 में, कॉलम (4) की अनुसूची में "सौंपे गए सभी मामले" से शुरु होने वाले तथा "आयकर निदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान), कोलकाता" शब्दों से समाप्त होने वाले वाक्य के हिस्से को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किए जाएगा, नामतः—

" मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-1 (बर्दवान जिले के आसनसोल उप संभाग, पुरुलिया जिले तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से भिन्न); मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-2 पूर्वा (ईस्ट) मेदिनीपुर जिले से भिन्न; मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-3, मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-4 (हुगली जिले से भिन्न); मुख्य

आयकर आयुक्त, कोलकाता-5 (नाडिया तथा मुर्शिदाबाद जिलों से भिन्न); मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-6 (सिक्किम राज्य से भिन्न तथा दार्जिलिंग, मालदा, उत्तर (नोर्थ) दिनाजपुर, दक्षिण (साउथ) दिनाजपुर, जलपाईगुडी, कूच बिहार तथा अलीपुर दार जिलों से भिन्न); मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-7 (पश्चिम (वेस्ट) मिदिनापुर, बर्दवान (आसनसोल उप संभाग को छोड़कर) बाकुडा तथा बीरभूम जिलों से भिन्न); आयकर आयुक्त, कोलकाता (टीडीएस), कोलकाता (पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली, नाडिया, मुर्शिदाबाद, पूर्वा (ईस्ट) मेदिनीपुर तथा पश्चिम (वेस्ट) तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न); प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य)-1, कोलकाता तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (मध्य)-2, कोलकाता-2; तथा आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं अंतरण मूल्य निर्धारण), कोलकाता (अंतरण मूल्य निर्धारण मामलों से भिन्न)"

2. यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2014 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना संख्या 62/2014/फा. सं. 187/19/2014 (आ.क.नि.-I)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 12th November, 2014
(Income-tax)

S.O. 2885(E).—In exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the following notifications of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, namely:—

- (i) in the notification number S.O. 1615(E), dated the 26th September, 2006 published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (ii), in the Schedule, in column (4), for the portion beginning with the words "All cases assigned" and ending with the words and brackets " Chief Commissioner of Income-tax-II, Bangalore (other than revenue district of Kolar)", the following shall be substituted, namely :—
"All cases assigned under section 127 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and which are presently under the jurisdiction of Chief Commissioner of Income-tax, Bangalore -1 (*other than the districts of Ramanagar, Kolar, Mysore, Chamarajanagar, Mandya, Hassan, Chikkamagalur, and Kodagu*) and Chief Commissioner of Income-tax, Bangalore -2 (*other than the districts of Chikkaballapur, Tumkur, Davanagere, Shimoga, Haveri, Chitradurga, Gulbarga, Bidar, Raichur, Yadgir, Bellary and Koppal*); Principal Commissioner of Income-tax/Commissioner of Income-tax, Bangalore-1; Commissioner of Income-tax (TDS), Bangalore (*other than the districts of Kolar, Chikkaballapur, Ramanagar, Mysore, Mandya, Hassan, Tumkur, Chikkamagalur, Chamarajanagar and Kodagu*); Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax (Central), Bangalore; and Commissioner of Income-tax (International Taxation), Bangalore";
- (ii) in the notification number S.O. 2022(E), dated the 30th November, 2007 published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (ii), in the Schedule, in column (4), for the portion beginning with the words "All cases assigned" and ending with the words and figures "Chennai -I and II", the following shall be substituted, namely:—
"All cases assigned under section 127 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and which are presently under the jurisdiction of Chief Commissioner(s) of Income-tax, Chennai-1, 2, and 3 and Chief Commissioner of Income-tax, Chennai-4 (*other than the districts of Cuddalore & Villupuram in the State of Tamilnadu and Union Territory of Puducherry*); Commissioner of Income-tax (TDS), Chennai (*other than the districts of Cuddalore & Villupuram in the State of Tamilnadu and Union Territory of Puducherry*); Principal Commissioner(s)/ Commissioner(s) of Income-tax (Central)-1 and 2, Chennai; and Commissioner of Income- tax (International Taxation), Chennai";

- (iii) in the notification number S.O. 739(E), dated the 27th March, 2008, published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (ii), in the Schedule, in column (4), for the portion beginning with the words “All cases assigned” and ending with the words in brackets “and Director of Income-tax (International Taxation)”, the following shall be substituted, namely:—

“All cases assigned under section 127 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and which are presently under the jurisdiction of Chief Commissioner(s) of Income Tax, Mumbai-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Chief Commissioner of Income Tax (TDS), Mumbai; Chief Commissioner(s) of Income Tax-Central-1 & Central-2, Mumbai and Commissioner(s) of Income-tax (International Taxation)-1 to 4, Mumbai”;

- (iv) in the notification number S.O. 1217(E), dated the 26th May, 2008, published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, sub-section (ii), in the Schedule, in column (4), for the portion beginning with the words “All cases assigned” and ending with the words “Director of Income-tax (International Taxation), Delhi”, the following shall be substituted, namely:—

“All cases assigned under section 127 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and which are presently under the jurisdiction of Chief Commissioner(s) of Income-tax, Delhi-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Chief Commissioner of Income Tax (TDS), Delhi, Chief Commissioner of Income-tax (Central), Delhi, Commissioner(s) of Income-tax (International Taxation)-1 to 3, Delhi”;

- (v) in the notification number S.O. 3249(E), dated the 25th October, 2013, published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (ii), in the Schedule, in column (4), for the portion beginning with the words “All cases assigned” and ending with the words “Director of Income-tax (International Taxation), Kolkata”, the following shall be substituted, namely:—

“Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata-1 (*other than the Asansol Sub-division of the District of Burdwan, the District of Purulia and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands*); Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata - 2 (*other than the District of Purba (East) Medinipur*); Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata-3, Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata-4 (*other than the District of Hooghly*); Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata-5 (*other than the Districts of Nadia and Murshidabad*); Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata-6 (*other than the state of Sikkim and other than the Districts of Darjeeling, Malda, Uttar (North) Dinajpur, Dakshin (South) Dinajpur, Jalpaiguri, Coochbehar and Alipurduar*); Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata-7 [*other than the districts of Paschim (West) Medinipur, Burdwan (excluding Asansol Sub-division), Bankura and Birbhum*); Commissioner of Income-tax (TDS), Kolkata [*other than the Districts of Hooghly, Nadia, Murshidabad, Purba (East) Medinipur and Paschim (West) Medinipur in the State of West Bengal and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands*]; Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax (Central)-1, Kolkata; Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax (Central)-2, Kolkata; and Commissioner of Income-tax (International Taxation and Transfer Pricing), Kolkata [*other than Transfer Pricing matters*]”.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2014

[Notification No. 62/2014/F. No. 187/19/2014 (ITA.I)]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director